

::- आदेश -::

एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबन्ध के आधार पर जीएनएम रखे जाने हेतु दिनांक-28.2.09 को 6635 जीएनएम की राज्य स्तरीय चयन सूची जारी की गई थी, जिसमें बिना ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण किये उच्च माध्यमिक परीक्षा (व्यावसायिक) उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अपात्र मानते हुये शामिल नहीं किया गया था। इनकी पात्रता के बिन्दू पर माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर व जोधपुर पीठ में अनेक याचिकाएँ दायर हुई। जिनमें न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों द्वारा बिना ब्रिजकोर्स उत्तीर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रम को भी इस पद हेतु पात्र घोषित किया गया। इन्हीं में से एक याचिकाकर्ता श्री सैयद रेहान अहमद नकवी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-12.9.08 की अनुपालना के क्रम में अवमानना याचिका संख्या-519/08 भी दायर की गई। प्रकरण का राज्य सरकार द्वारा विस्तार से परीक्षण करने के उपरांत सक्षम स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि जिन अभ्यर्थियों के पक्ष में माननीय न्यायालय का स्पष्ट आदेश है, उन्हें यदि वे वरीयता सूची में स्थान पाने में सफल रहे हैं तो नियुक्ति प्रदान कर दी जावे।

अतः निम्नलिखित अभ्यर्थियों को विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णयों की पालना में वरीयता के आधार पर चयन योग्य प्राये जाने पर एनआरएचएम योजना में अनुबन्ध के आधार पर रखे जाने हेतु उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले को एतद्वारा आवंटित किया जाता है:-

क सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	गृह जिला	जन्म तिथि	जाति वर्ग	लिंग	औसत प्राप्तांक प्रतिशत	पद स्थापन स्थान
1	राजेन्द्र सिंह	केसर सिंह	नागौर	08/07/78	सामान्य	पुरुष	73.679	सीएमएचओ,, नागौर
2	सैयद रेहान अहमद नकवी	सैयद अब्दुल मुगनी	टोंक	01/07/77	सामान्य	पुरुष	72.884	सीएमएचओ,, टोंक
3	महेश चंद सुथार	काना राम	जालौर	02/02/80	ओबीसी	पुरुष	71.780	सीएमएचओ,, जालौर
4	बलदेव सिंह बाजिया	मधुराम बाजिया	सीकर	10/07/81	ओबीसी	पुरुष	68.888	सीएमएचओ,, सीकर
5	सुरेश कुमार विश्नोई	फगलू राम	जोधपुर		ओबीसी	पुरुष	66.760	सीएमएचओ,, जोधपुर
6	चेनाराम गोदारा	भीकाराम गोदारा	नागौर	16/08/81	ओबीसी	पुरुष	66.564	सीएमएचओ,, नागौर
7	नरेन्द्र सिंह मीणा	रोशन लाल मीणा	धौलपुर		एसटी	पुरुष	64.168	सीएमएचओ,, धौलपुर
8	सत्यनारायण कोटेड	रामलाल कोटेड	डूंगरपुर	25/10/78	एसटी	पुरुष	63.875	सीएमएचओ,, डूंगरपुर
9	अशोक कुमार	भागीरथ मल	सीकर		एससी	पुरुष	62.72	सीएमएचओ,, सीकर
10	छुट्टन लाल मीणा	रामप्रसाद मीणा	स0मा0	15/05/73	एसटी	पुरुष	61.265	सीएमएचओ,, स0माधोपुर
11	तुलसी डामोर	भगवान डामोर	डूंगरपुर	03/09/79	एसटी	महिला	61.208	सीएमएचओ,, डूंगरपुर

इन अभ्यर्थियों से अनुबन्ध करते समय निम्न शर्तों की पालना संबंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावे:-

1. यह अनुबन्ध वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिये किया जाना है।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त छायाप्रतियों का मिलान मूल दस्तावेजों से कराया जावेगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है अथवा प्रस्तुत करने में आनाकानी की जाती है, तो उसकी उपस्थिति नहीं ली जावे।
3. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों का संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जावे, अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किये जावेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज- फर्जी, परिवर्तित,/

कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे साथ ही दोषी के विरुद्ध न्यायिक/दण्डिक कार्यवाही की जावेगी।

4. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये। यदि अभ्यर्थी द्वारा छः माह से पुराना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे नवीनीकृत करवाकर प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही उपस्थिति ली जावे।
5. महिला अभ्यर्थी होने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही जारी किया हुआ होना चाहिये। पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसी महिला अभ्यर्थी से पिता के नाम का प्रमाण पत्र मांगा जावे। प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उपस्थिति नहीं ली जावे।
6. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नवीनीकृत होना चाहिये तथा जिसकी वैधता उपस्थिति प्रस्तुत करने से पूर्व समाप्त नहीं होनी चाहिये। यदि रिपोर्ट करते समय नवीनीकृत रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उपस्थिति नहीं ली जावे।
7. विकलांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी द्वारा सक्षम स्तर से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की जांच की जावे। विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होने की स्थिति में ही कार्यग्रहण कराया जावे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग में केवल ओ0एल00 (वन लेग कटेगरी) के अभ्यर्थियों को ही जीएनएम रखा गया है। अन्य प्रकार की विकलांगता होने पर उपस्थिति नहीं ली जावे।
8. दिनांक-01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी अनुबन्ध के लिये पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो, शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा।
9. अभ्यर्थियों को पुलिस वेरिफिकेशन/चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करावे।
10. उक्त अभ्यर्थियों को दिनांक-8.6.09 तक संबंधित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी पात्रता स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी।
11. अभ्यर्थी द्वारा उपस्थिति प्रस्तुत करने के पश्चात उसे संबंधित चिकित्सालय की मेडिकल रिलीफ सोसायटी से अनुबन्ध किये जाने हेतु आवंटन संबंधित अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-एफ.1 (5)/एफडी/रूल्स/2002 दिनांक-9.1.07 की अनुपालना में निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालय द्वारा उनके परिपत्र क्रमांक-एफ.20(एमपीपी)एचआरडी/एनआरएचएम/2007/700 दिनांक-9.5.07 के साथ प्राप्त व्यक्तिगत अनुबन्ध का प्रपत्र एवं प्रथम पक्ष (इस योजना के तहत जीएनएम व्यक्तिगत सविदा नियोजन होने वाली प्रार्थी) को दी जाने वाली अन्य सुविधाएँ एवं शर्तें पूर्व में जीएनएम रखे जाने के प्रथम चरण में अपनवाई गई प्रक्रिया यथावत होगी। इनकी प्रतियां आपको पूर्व में ही भिजवाई जा चुकी हैं।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज0 जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जीएनएम/एनआरएचएम/09/161

दिनांक:- 19/5/09

प्रतिलिपि निम्न को मय विज्ञप्ति प्रति के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर।
3. मिशन निदेशक एनआरएचएम मुख्यालय।
4. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में उक्त समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करें।
5. संबंधित अभ्यर्थी
6. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज0 जयपुर